न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur-2022-305(GCMS2022-496) RTA225 Achalaram etc Vs Nemichand

1- अचलाराम पुत्र त्रिलोकराम जाति देवडा (माली)
निवासी मन्दिर वाला बेरा, माता का थान,
पूंजला, जोधपुर
2- गजेसिंह पुत्र जाति देवडा (माली)
निवासी मन्दिर वाला बेरा, माता का थान,
पूंजला, जोधपुर

--- **अपीलाण्ट्स**

ब

ना

म

नेमीचन्द पुत्र पोकरराम जाति देवडा (माली)
निवासी मन्दिर वाला बेरा, माता का थान,
पूंजला, जोधपुर

--- **रेस्पोडेण्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर दिनांक 18 नवम्बर 2022 प्रकरण संख्या 151/2022 नेमीचन्द बनाम गजेसिंह इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -
श्री एम.डी.बूब, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 21 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 151/2022 नेमीचन्द बनाम गजेसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2022 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 20 नवम्बर 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. नेमीचन्द ने किसी को अप्रार्थी बनाये बिना ही एक प्रार्थनापत्र पेश कर ग्राम पूंजला स्थित आराजी खसरा संख्या 236 रकबा 20 बीघा एवं खसरा संख्या 237 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा का स्वयं को सहखातेदार जाहिर करते हुए उक्त आराजियात बाबत पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 67/2016 पृथ्वीसिंह बनाम लूणसिंह में पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त 2018 की पालना सुनिश्चित कराने एवं मौके पर अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण कार्य को तुरन्त प्रभाव से रूकवाये जाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना माता का थान जोधपुर को तहरीर जारी किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03 नवम्बर 2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी-रेस्पो. की इकतरफा सुनवाई कर थानाधिकारी पुलिस थाना माता का थान जोधपुर को तहरीर जारी की गयी और आगामी पेशी 15 जनवरी 2022 मुकर्रर की गयी। तत्पश्चात विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलाण्ट्स ने दिनांक 09 नवम्बर 2022 को एक प्रार्थनापत्र पेश कर आदेश दिनांक 03 नवम्बर 2022 को रिकाल किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थनापत्र पेश किये जाने व उसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिये जाने बाबत उल्लेख करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 09 नवम्बर 2022 लिखी जाकर आगामी पेशी बाबत बहस दिनांक 15 जनवरी 2022 निर्धारित की गयी। उसके बाद बिना किसी संदर्भ के आदेशिका दिनांक 18 नवम्बर 2022 में उक्त दोनों प्रार्थनापत्रों का विवरण एवं पक्षकारान की ओर से की गयी बहस बाबत अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2022 पारित किया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व प्रकरण संख्या 67/2016 लूणसिंह बनाम पृथ्वीसिंह में न तो अपीलाण्ट्स पक्षकार थे और न ही रेस्पो. संख्या एक पक्षकार था। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में जारी स्थगन आदेश से अपीलाण्ट्स आबद्ध नहीं है और न ही रेस्पो. संख्या एक को उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कराने बाबत विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायिक प्रकिया के सर्वथा विपरीत पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र में न तो अपीलाण्ट्स के खिलाफ कोई शिकायत की गयी है और न ही विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के संदर्भ में कोई रिपोर्ट तलब कर वस्तुस्थिति की जांच की गयी है और सीधे ही थानाधिकारी, पुलिस थाना माता का थान जोधपुर को तहरीर जारी कर दी गयी। आदेशिका में बतौर अप्रार्थीगण अपीलाण्ट्स का नाम दर्ज किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार पर स्पष्ट नहीं है और न ही अपीलाण्ट्स गजेसिंह आदि को नोटिस जारी किये जाने बाबत कोई उल्लेख है। जाहिर है कि दिनांक 03 नवम्बर 2022 की आदेशिका अपीलाण्ट्स द्वारा प्रार्थनापत्र पेश किये जाने के बाद पिछली दिनांक में लिखी गयी है। इसी प्रकार आदेशिका दिनांक 9 नवम्बर 2022 में अपीलाण्ट्स गजेसिंह आदि द्वारा रेस्पो. के प्रार्थनापत्र का जबाब पेश किया जाना अंकित किया गया है, जबकि अपीलाण्ट्स द्वारा कोई जबाब पेश ही नहीं किया गया है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स नादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार है और मौके पर आपसी सहमति से अपनी फसल की सुरक्षा एवं भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण करवा रहे है, जिसका प्रत्येक काश्तकार को अधिकार प्राप्त है। रेस्पो. स्वयं ने भी अपने बंट एवं हिस्से की भूमि पर रहवासीय मकान का निर्माण करवाया हुआ है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रार्थनापत्र का भी उल्लेख किया गया है, किन्तु उस प्रकरण में रेस्पो. द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के बावजूद कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 67/2016 में पारित स्थगन आदेश के संबंध में मामला राजस्व मण्डल में विचाराधीन है, विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त विविध प्रकरण विचाराधीन ही नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश विचारण न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया हैं, जो अपास्त किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने न्यायालय का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ध्यान 2015(1) डीएनजे (राज) 81 एवं 2017(पूरक) सीसीसी 770 (हिमाचल प्रदेश) की नजीरों की ओर आकर्षित किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर जाहिर किया कि रेस्पो. संख्या एक वादग्रस्त आराजियात का सहखातेदार है और उक्त भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी की दर्ज चली आ रही है जिसका आदिनांक तक कोई औपचारिक बंटवारा नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 67/2016 लूणसिंह बनाम पृथ्वीसिंह में दिनांक 13 अक्तूबर 2016 को वादग्रस्त आराजियात बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया था, जिसके खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 134/2016 पृथ्वीसिंह बनाम लूणसिंह अदालत हाजा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2016 को खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए अपीलाण्ट्स द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के मौके पर व्यावसायिक निर्माण कार्य कराये जाने के कारण विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा मौके पर निर्माण कार्य रुकवाये जाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना माता का थान जोधपुर को तहरीर जारी की गयी। उक्त तहरीर जारी होने के बाद अपीलाण्ट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया गया कि रेस्पो. संख्या एक प्रकरण संख्या 67/2016 में पक्षकार नहीं होने के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर इस प्रकार की तहरीर जारी नहीं की जा सकती है। उक्त प्रार्थनापत्र पर सुनवाई कर विचारण न्यायालय द्वारा विवेचना की गयी कि विचारण न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा किसी व्यक्ति विशेष की बजाय विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में विवादित आराजियात खसरा संख्या 236 व 237 वाके मौजा पूंजला के संबंध में जारी की गयी, अतः वादग्रस्त आराजियात के सभी सहखातेदारान इससे आबद्ध है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने आलौच्य अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 258 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 236 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वाएवं खसरा संख्या 237 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाके मौजा पूंजला के संबंध में विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र प्रार्थी लूणसिंह पुत्र पुसाराम द्वारा अप्रार्थीगण पृथ्वीसिंह पुत्र पुसाराम एवं राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर के खिलाफ पेश किया गया अर्थात उक्त प्रकरण में वर्तमान अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. संख्या एक पक्षकार नहीं थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत उक्त प्रकरण संख्या 67/2016 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अक्तूबर 2016 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अपीलाण्ट पृथ्वीसिंह पुत्र पुसाराम द्वारा रेस्पो. लूणसिंह पुत्र पुसाराम तथा राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर के खिलाफ अपील संख्या 134/2016 पेश की गयी, अर्थात उक्त अपील में भी वर्तमान अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. संख्या एक पक्षकार नहीं रहे है। मूल वाद में वर्तमान अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. संख्या एक पक्षकार संयोजित होने के संबंध में कोई विवरण अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो. संख्या एक द्वारा "न्यायालय के आदेश की पालना में कार्य रुकवाने बाबत" जो प्रार्थनापत्र दिनांक 03 नवम्बर 2022 को प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए विधिवत कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। यही स्थिति अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत आलौच्य अपील के संबंध में भी पायी जाती है कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील पेश करने हेतु विधिवत कोई आवेदन अदालत हाजा के समक्ष धारा 96 सीपीसी अथवा अन्य किसी प्रावधान के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत नजीरों का अदालत हाजा सम्मान करती है, किन्तु वर्तमान मामले में अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो-प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है और न ही इनके द्वारा अपील/प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने बाबत विधिवत प्रार्थनापत्र पेश कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुमति चाही गयी है, जबकि प्रस्तुत नजीरों से संबंधित प्रकरणों में इस कोई स्थिति निहित नहीं है। अतः तथ्यों की भिन्नता के कारण उक्त नजीरें वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजियात से संबंधित प्रकरण संख्या 67/2016 लूणसिंह बनाम पृथ्वीसिंह आदि में वर्तमान अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. पक्षकार नहीं होने, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2022 से संबंधित कार्यवाही में प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा प्रार्थनापत्र पेश करने की अनुमति नहीं लिया जाना, प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में किसी को भी बतौर अप्रार्थी संयोचित नहीं किया जाना, एवं वर्तमान अपील में अपीलाण्ट्स द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आलौच्य अपील अधिकारिता-विहीन होने से श्रवणार्थ ग्रहण किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है। जो तदनुसार इसी बिन्दु के आधार पर खारिज की जाती है। वर्तमान अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. दोनों ही विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजियात से संबंधित मूल वाद एवं प्रकरण संख्या 67/2016 लूणसिंह बनाम पृथ्वीसिंह आदि में विधिवत प्रार्थनापत्र पेश कर स्वयं को पक्षकार संयोजित करवा कर अपने हितों की रक्षार्थ कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है, जिसमें यह आदेश किसी भी प्रकार से बाधक नहीं होगा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.12.2022

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर